## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 07 / 2022

अपीलकर्ता

[illegible]तनोदेवी पत्नी कूम्पाराम जाति भील निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

उतरदातागण

1 ग्राम पंचायत दरूड़ा पूर्व ग्राम पंचायत मारूड़ी 2 मांगाराम पुत्र भंवराराम 3 रावताराम 4 पन्नाराम 5 नीम्बाराम पिसरान देरामाराम 6 चेनीदेवी पत्नी देरामाराम जाति भील निवासी दरूड़ा तहसील बाडमेर 7 छगनी पुत्री देरामाराम पत्नी राणाराम जाति भील निवासी बूल तहसील धोरीमन्ना 8 रमेश 9 जगदीश पिसरान गेमराराम 10 कमलादेवी पत्नी गेमराराम 11 धनाराम पुत्र गेमराराम 12 सविता पुत्री गेमराराम उतरदाता संख्या 11 व 12 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता उतरदाताा संख्या 10 कमलादेवी जाति भील निवासी दरूड़ा तहसील बाडमेर 13 गीता पुत्री गेमराराम पत्नी सगताराम जाति भील निवासी गोलियार तहसील चौहटन 14 ढोला पुत्र चिमना 15 छगना 16 प्रभू पिसरान फतू 17 बाबू पुत्र बगता 18 अगरीदेवी पत्नी बगताराम जाति भील निवासी दरूड़ा तहसील व जिला बाडमेर 19 तहसीलदार बाडमेर।

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.**

उपस्थिति :– 1 श्री डालूराम जी गोदारा, वकील अपीलकर्ता।

### आदेश

दिनांक 08/12/22

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 से 18 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा दरूड़ा पटवार मण्डल मारूड़ी तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 31.12 बीघा कुल रकबा 84.12 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमे अपीलान्ट ने खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा भूमि में से रकबा 07.17 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 03.04.2007 को उतरदाता संख्या 02 से खरीद की गई थी। अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 235 रकबा 31.12 बीघा भूमि को दिनांक 03.04.2007 को जरिये उतरदाता संख्या 02 से 05.03 बीघा भूमि खरीद की थी, इस प्रकार रकबा 07.17 बीघा व 05.03 बीघा कुल रकबा 13.00 बीघा भूमि अपीलकर्ता द्वारा क्रय की गई थी। उक्त क्रय की गई भूमि के अनुसार अपीलकर्ता का खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा भूमि में से [illegible] हिस्से में से 07.17 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 31.12 बीघा भूमि से [illegible] के 1/6 हिस्से में से 05.03 बीघा अनुसार कुल रकबा 13.00 [illegible] भूमि अपीलकर्ता की [illegible] में अंकित करनी चाहिए थी, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के हिस्से [illegible] 13.00 बीघा भूमि का उतरदाता संख्या 02 से 13 के साथ 1/2 हिस्सा का संयुक्त नामान्तकरण भूलवंश पारित किया गया था। उक्त नामान्तकरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 15.05.2007 को पारित किया गया, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:19:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

[illegible]तकरण संख्या 322 दिनांक 15.05.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के [illegible] अनुसार नया नामान्तकरण भरा जाना न्यायोचित है। अपीलकर्ता, गरीब एवं [illegible]पढ होने से उक्त रजिस्ट्री के पश्चात भरे गये नामान्तकरण का ज्ञान नही था तथा उक्त नामान्तकरण के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा बैंक में ऋण लेने हेतु अक्टूम्बर 2022 में गयी तब उक्त ऋण के सम्बन्ध में दस्तावेजों हेतु अपीलान्ट द्वारा वकील से नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु कहां तब पटवारी हल्का से दिनांक 13.10.2022 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त होने पर अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 15.05.2007 का ज्ञान हुआ उक्त ज्ञान होने की तिथि से अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में अपील कर दी गई जो धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाकर उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 15.05.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के हिस्से अनुसार नया नामान्तकरण पारित किये जाने का आदेश दिया जावें।

वकील अपीलकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 15.05.2007 जो उतरदाता संख्या 01 द्वारा भरा गया नामान्तकरण में काननून भारी भूल की है। अपीलकर्ता, गरीब एवं अनपढ होने से उक्त रजिस्ट्री के पश्चात भरे गये नामान्तकरण का ज्ञान नही था तथा उक्त नामान्तकरण के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा बैंक में ऋण लेने हेतु अक्टूम्बर 2022 में गयी तब उक्त ऋण के सम्बन्ध में दस्तावेजों हेतु अपीलान्ट द्वारा वकील से नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु कहां तब पटवारी हल्का से दिनांक 13.10.2022 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त होने पर अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 15.05.2007 को हुआ। उक्त ज्ञान होने पर अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नामान्तकण संख्या 322 दिनांक 05.05.2007, नामान्तकरण रजिस्टर प्रविष्टी संख्या 682 दिनांक 27.02.2022, जमाबन्दी संवत् 2075–2078, नक्शा तथा पंजीबद्ध बेचान [illegible] पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली [illegible] अपीलान्ट ने खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा [illegible] जरिये पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 03.04.2007 को उतरदाता संख्या 0[illegible] खरीद की गई थी। अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 235 रकबा 31.12 बीघा भूमि को दिनांक 03.04.2007 को जरिये उतरदाता संख्या 02 से 05.03 बीघा भूमि खरीद की थी, इस प्रकार रकबा 07.17 बीघा व 05.03 बीघा कुल रकबा 13.00 बीघा भूमि अपीलकर्ता द्वारा क्रय की गई थी। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:19:19 IST
Reason: SelfAttested

गई भूमि के अनुसार अपीलकर्ता का खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा में से उतरदाता संख्या 02 के 1/6 हिस्से में से 07.17 बीघा व खसरा संख्या 235 बा 31.12 बीघा भूमि में से उतरदाता संख्या के 1/6 हिस्से में से 05.03 बीघा नुसार कुल रकबा 13.00 बीघा भूमि अपीलकर्ता की खातेदारी में अंकित करनी चाहिए थी, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की 13.00 बीघा भूमि का उतरदाता संख्या 02 से 13 के साथ 1/2 हिस्सा का संयुक्त नामान्तकरण पारित किया गया था। ग्राम पंचायत दरूड़ा द्वारा नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.05.2007 को स्वीकार किया गया, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलकर्ता द्वारा उतरदाता संख्या 02 से क्रय की गई हिस्सा अनुसार नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार बाडमेर को पंजीबद्ध बेचान के दस्तावेज के आधार पर जांच करते हुए पुनः नामान्तकरण पारित किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा दरूड़ा पटवार मण्डल मारूड़ी तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 31.12 बीघा कुल रकबा 84.12 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.05.2007 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाड़मेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा दरूड़ा पटवार मण्डल मारूड़ी तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 228 रकबा 53.00 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 31.12 बीघा कुल रकबा 84.12 बीघा भूमि में अपीलकर्ता द्वारा पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों की जांच करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 08/12/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:19:19 IST
Reason: SelfAttested